सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 71/2015

श्री नैनु बनाम श्री भंवर व अन्य

पुर्नःविचार याचिका अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जाब्ता दीवानी जिसमें िकमूल प्रकरण राजस्व वाद संख्या 16 सन 2011 में निर्णय दिनांक 16.03.2015 पारित कर वादी का विभाजन का वाद प्राथमिक डिगरी पारित करने के बावजूद अन्तिम डिगरी पारित करने के लिए निरस्त कर दिया।

आदेश दिनांक 21.08.2018

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2015 में निर्णय व डिक्री पारित की गई जिससे व्यथित होकर निम्नानुसार वर्णित आधार पर पुर्नःविचारा याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व डिगरी पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व आदेश के सन्तुलन के सर्वथा विपरीत है, तथा तथ्यात्मक एवं विधिक दोनों ही स्थितियों में सर्वथा प्रतिकुल होने के साथ साथ गलत आधारहीन व विधिविरूद्ध व दिखती हुई भूल व विधिक भूल होने से किसी भी स्थिति में कानुनन विद्यमान रहने योग्य नहीं है। अतएव न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिगरी व बंटवारा प्रस्ताव पर पंर्नःविचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के विरूद्ध विभाजन का वाद दायर किया गया था एवं सम्मन की तामीली के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 ने उपस्थिति दी व बकाया प्रतिवादीगण ने उपस्थिति नहीं दी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 ने कोई प्रतिकार नहीं किया व नही प्रतिवाद पत्र पेश किया अतएव न्यायालय वादी की साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 22.11.2012 प्राप्त कर दिनांक 26.11.2012 को बहस सुनी जाकर अपने आदेश व निर्णय दिनांक 04.12.2012 निर्णय पारित कर विभाजन का वाद स्वीकार कर लिया एवं तहसीलदार ब्यावर को विभाजन का प्रस्ताव पेश करने हेतु आदेशित कर दिया जो कि अन्तिम हो चुका है। न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ब्यावर द्वारा विभाजन का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका था व जिस बाबत् वादी ने भी कोई आपत्ति पेश नहीं की थी व न ही किसी भी प्रतिवादी ने कोई आपत्ति की अतएव न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिगरी पारित करनी थी किन्तु न्यायालय से संहवन से वाद ही खारिज़ कर दिया जबकि विधि इस बाबत् सुस्पष्ट है कि न्यायालय ने तो दिनंक 04.12.2012 को ही निर्णय पारित कर लिया था एवं निर्णय पारित करने के पश्चात् न्यायालय को वाद खारिज़ करने का कोई अधिकार ही नहीं रह गया था अतएव न्यायालय से स्पष्ट विधिक भूल हुई है जो कि ठीक किये जाने योग्य है। न्यायालय से इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि मृतक सोहन के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जबकि प्रस्तुत वाद में सोहन पुत्र पूना प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में मौजूद है एवं उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा कर दी गई थी एवं एकतरफा कार्यवाही होने के पश्चात् वाद विचारण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिसकी कोई जानकारी न्यायालय पत्रावली पर आदेश 22 नियम 10 ए जाब्ता दीवानी प्रस्तुत नहीं हुई व नही वादी को जानकारी हुई इसके अलावा भी जब उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा है तो आदेश 22 नियम 4 (2) जाब्ता दीवानी उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना कत्तई आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद भी इसे आधार बना कर वाद डिगरी किये जाने के बावजूद निरस्त कर भारी भूल की है। न्यायालय ने इस आधार पर भी वाद निरस्त कर दिया है कि अम्मी वल्द जोरा, धन्ना, रमजान, सुलेमान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया, सर्वप्रथम तो जब न्यायालय

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलक्टर,ब्यावर

ने दिनांक 04.12.2012 को ही वाद डिगरी कर दिया तो इस आधार पर वाद खारिज़ नहीं किया जा सकता इसके अलावा भी दोयम पक्षकार के अभाव में भी वाद खारिज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायालय ने पक्षकार बनाये जाने का आदेश कानूनन पारित करना चाहिये था जिस बाबत् आदेश 1 नियम 9 जाब्ता दीवानी स्पष्ट है व न्यायालय के आदेशों के बावजूद पक्षकार नहीं बनाये जाये तो ही वाद निरस्त किया जा सकता है, इसके अलावा वाद दायरी के समय उपरोक्त लोगों का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित ही नहीं था तो उन्हें तत्समय पक्षकार बनाये जाने का अवसर ही नहीं था एवं यह अंकन पश्चातवर्ती हुए हैं एवं पश्चातवर्ती घटनाएं एवं धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार वे ही मूल खातेदार के पांवों में आ गये है। इसके अतिरिक्त पीरू को घीसा का भाई अंकित किया है एवं पीरू प्रताप का पुत्र है एवं सिजरा गलत अंकित है इस बाबत् निवेदन है कि कथित पीरू, घीसा आदि ने न तो प्रतिवाद पत्र पेश किया व न ही काउन्टर क्लेम, वादी को तो अपने हिस्से तक का ही बंटवारा करना थ एवं उसी अनुरूप हिस्से की भूमि प्राप्त करनी थी, इसी कारण न्यायालय ने दिनांक 04.12.2012 को ही निर्णय पारित कर प्रारभिंक डिगरी पारित कर दी थी तो उस निर्णय व डिगरी को खारिज करने का न्यायालय को कोई अधिकार नहीं रह गया। जब बंटवारा प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई तो न्यायालय को बमुजब बंटवारा प्रस्ताव अंतिम डिगरी पारित करनी थी किन्तु न्यायालय ने अपने ही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2012 को संज्ञान में न लेकर वाद तकनीकी आधारों पर निरस्त कर दिया जो स्पष्ट विधिक भूल है। अतः निवेदन है कि पुनः विचार याचिका स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिगरी दिनांक 16.03.2015 अपास्त किया जाकर बमुजब बंटवारा प्रस्ताव अन्तिम डिगरी पारित किये जाने का आदेश पारित करने की अनुकम्पा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष में प्रार्थना पत्र एवं मूल वाद संख्या 16/2011 का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम लाखीना पटवार क्षेत्र सुहावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर की जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खाता संख्या 98 तथा 2067 से 70 के खाता संख्या 104 में नामान्तरकरण का नोट संख्या 548 दिनांक 18.11.2010 के अनुसार मृतक पीरू के स्थान पर वारिसान बाबू मिठु पप्पू पि0 पीरू मींरा बेवा नारायण राजू कुशाल नाबा. पि. नारायण ना.बा.बसरबराही माता मीरां बेवा नारायण अमरी बेवा पीरू रेखा राधा कमला पुत्रियां पीरू के नाम विरासत का अंकन स्वीकार होकर दर्ज किया गया है परन्तु वादी ने स्वर्गीय पीरू की पत्नी श्रीमती अमरी व उसकी पुत्रियां रेखा राधा कमला जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार थी, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त अंकन जमाबन्दी में वर्ष 2010 में ही अंकित किया जा चुका है एवं वाद वर्ष 2011 में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त भी जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 134 में भी वादग्रस्त भूमि बाबत् नामान्तरकरण का नोट संख्या 602 दिनांक 21.12.2012 से मृतक सोहन पि. पूना के स्थान पर बहक वारिसान सुशीला पत्नी स्व. सोहन आसिफ ना.बा. पुत्र सोहन सलमा

.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पुर्नःविचार याचिका अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जाब्ता दीवानी जिसमें िकमूल प्रकरण राजस्व वाद संख्या 16 सन 2011 में निर्णय दिनांक 16.03.2015 पारित कर वादी का विभाजन का वाद प्राथमिक डिगरी पारित करने के बावजूद अन्तिम डिगरी पारित करने के लिए निरस्त कर दिया।

अफसाना नाबा. पुत्रियां सोहन नाबा. बरसबराही माता सुशीला खुद के नाम विरासत का अंकन स्वीकार होकर दर्ज किया गया है । उक्त सोहन की मृत्यु किस दिनांक को हुई, इस बाबत् वाद विचारण के दौरान वादी ने कोई कथन नहीं किये एवं उसके वारिसान को वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है। तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरा नम्बर 706 रकबा 01—01—10 आ01 पर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम के ही अमी वल्द जोरा मेरात को बेचान करना बताया है एवं अमी वल्द जोरा मेरात द्वारा ग्राम सुहावा निवासी धन्ना, रमजान पि0 अजमाल, सुलेमान वल्द लाला कौम मेरात को बेचान करना बताया है एवं मौके पर सुहावा निवासी धन्ना, रमजान पि0 अजमाल, सुलेमान वल्द लाला कौम मेरात का कब्जा बताया है जिसे प्रथम दृष्टया नकारा नहीं जा सकता है । उक्त खरीददारान भी वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें वादी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । इसके अतिरिक्त वादपत्र के पृष्ठ संख्या 2 के यह अंकित किया गया है कि स्व. घीसा व प्रताप दोनों भाई है परन्तु प्रताप के स्थान पर वादपत्र में पीरू को घीसा का भाई अंकित किया गया है जबकि पीरू प्रताप का पुत्र है जो जमाबन्दी संवत् 2067—70 के खाता संख्या 134 से भी स्पष्ट है। इस प्रकार वादपत्र में अंकित सिज़रा भी गलत वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भूअ/13/1641 दिनांक 18.04.13 में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का अंकन एवं उक्त बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद वादीगण एवं उनके अधिवक्ता ने पक्षकार बनाये जाने बाबत् तथा सिजरा गलत होने के संबंध में तथा कब्जे की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही इस बाबत् कोई कथन किए जो वादी के द्वारा तथ्यों को छिपाने एवं उनका प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है जो कि वादी एवं उनके अधिवक्ता का उत्तरदायित्व था। दिनांक 16.03.2015 को पारित किया गया अंतिम निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो न्यायोचित है एवं उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के मध्यनज़र प्रार्थी को एक अवसर इस आशय से दिया जाता है कि वे पूर्व प्रकरण में रही कमियों की पूर्ति करते हुए नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अतः नया वाद प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए प्रार्थी का यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

आदेश आज दिनांक 21—08—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
(सुरेश चौधरी) सहायक कलक्टर, ब्यावर
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर